

कार्यालय

क्रमांक : -

दिनांक :-

::- कार्यालय आदेश ::-

वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक:-**F.15(1)FD/RUES/2017 PT-II** जयपुर दिनांक : 12.09.2024 के अनुसार 30 जून 2006 से आगामी वर्षों में 30 जून को सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नोशनल वेतन वृद्धि देने के निर्देश दिये जाने की पालना में इस विद्यालय के अधीनस्थ कार्यरत रहे 30 जून को सेवानिवृत्त कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण अनुसार नोशनल वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी मय सेवानिवृत्ति के समय धारित पद	सेवानिवृत्त तिथि	सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त पे-मैट्रिक्स, लेवल एवं वेतन	नोशनल वेतन वृद्धि स्वीकृति तिथि	नोशनल वेतन वृद्धि स्वीकृति उपरान्त मूल वेतन
1	2	3	4	5	6
1-					

नोट :- उक्त स्वीकृत वेतन वृद्धि का पेंशन पर लाभ स्वीकृति दिनांक से 10.04.2023 तक नोशनल रहेगा। दिनांक 11.04.2023 से पेंशन का वास्तविक/आर्थिक लाभ देय होगा, अन्य पेंशन परिलाभों यथा ग्रेच्युटी, कम्प्यूटेशन, अनुपयोगी उपार्जित अवकाश का कोई अन्तर देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर आहरण वितरण अधिकारी
मय सील

क्रमांक : -

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 श्रीमान
- 2 श्रीमान कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, कोष/उपकोष
- 3 लेखा/संस्थापन शाखा, कार्यालय हाजा।
- 4 संबंधित/निजी पत्रावली श्री.....
- 5 आदेश/रक्षित पत्रावली।

हस्ताक्षर आहरण वितरण अधिकारी
मय सील

कार्यालय

क्रमांक : -

दिनांक :-

::- कार्यालय आदेश ::-

वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक:-F.15(1)FD/RUES/2017 PT-II जयपुर दिनांक : 12.09.2024 के अनुसार 30 जून 2006 से आगामी वर्षों में 30 जून को सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नोशनल वेतन वृद्धि देने के निर्देश दिये जाने की पालना में इस विद्यालय के अधीनस्थ कार्यरत रहे 30 जून को सेवानिवृत्त कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण अनुसार नोशनल वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी मय सेवानिवृत्ति के समय धारित पद	सेवानिवृत्त तिथि	सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त रनिंग पे-बैंड, ग्रेड पे एवं वेतन	नोशनल वेतन वृद्धि स्वीकृति तिथि	नोशनल वेतन वृद्धि स्वीकृति उपरान्त मूल वेतन
1	2	3	4	5	6
1-					

नोट :- उक्त स्वीकृत वेतन वृद्धि का पेंशन पर लाभ स्वीकृति दिनांक से 10.04.2023 तक नोशनल रहेगा। दिनांक 11.04.2023 से पेंशन का वास्तविक/आर्थिक लाभ देय होगा, अन्य पेंशन परिलाभों यथा ग्रेच्युटी, कम्प्यूटेशन, अनुपयोगी उपार्जित अवकाश का कोई अन्तर देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर आहरण वितरण अधिकारी
मय सील

क्रमांक : -

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 श्रीमान
- 2 श्रीमान कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, कोष/उपकोष
- 3 लेखा/संस्थापन शाखा, कार्यालय हाजा।
- 4 संबंधित/निजी पत्रावली श्री.....
- 5 आदेश/रक्षित पत्रावली।

हस्ताक्षर आहरण वितरण अधिकारी
मय सील